

Email

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

फ्रमांक / शि.क. / ऐ / ४७ / ०९ / १९५
प्रति,

भोपाल, दिनांक २०-५-१०

जिला शिक्षा अधिकारी,
खरगोन, उज्जैन, सिंगरौली, ग्वालियर,
मुरैना, भिण्ड, रायसेन, श्योपुर, अलीराजपुर
मध्य प्रदेश ।

विषय:- अध्यापक संवर्ग का जिलान्तर्गत संविलियन करने विषयक ।

संदर्भ:- मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रातः टीप क २८९५ दिनांक २३.९.०९

सं. क्र.	अध्यापक संवर्ग के नाम,, पद एवं कार्यरत संस्था	मान. मंत्री जी से प्राप्त नोटशीट / पत्र का क्र. एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
१	२	३	४
४	श्रीमती सुनीता इंगले (परमार) अध्यापक वर्ग-१ शा.वि. बागवा खरगोन	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	आवेदिका द्वारा अपना संविलियन जिला अन्तर्गत एक निकाय से दूसरे निकाय में चाहा है । अतः संबंधित के प्रकरण में जिला स्तर से नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण करें ।
५	श्रीमती मनीषा वर्मा अध्यापक शा.हाईस्कूल जहांगीरपुर उज्जैन	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	आवेदिका द्वारा अपना संविलियन जिला अन्तर्गत एक निकाय से दूसरे निकाय में चाहा है । अतः संबंधित के प्रकरण में जिला स्तर से नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण करें ।
६	श्रीमती रीता सिंह सहायक अध्यापक शा.पू.मा.वि. तेलगवां जिला सिंगरौली	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	आवेदिका द्वारा अपना संविलियन जिला अन्तर्गत एक निकाय से दूसरे निकाय में चाहा है । अतः संबंधित के प्रकरण में जिला स्तर से नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण करें ।
७	श्रीमती पार्वती पचोरिया सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. बनवार जिला ग्वालियर	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	आवेदिका द्वारा अपना संविलियन जिला अन्तर्गत एक निकाय से दूसरे निकाय में चाहा है । अतः संबंधित के प्रकरण में जिला स्तर से नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण करें ।
८	श्री भवानीदीन पाल अध्यापक शा.किरान उ.मा.वि. कसमडा जिला मुरैना	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक ८.११.०५ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार पुरुष आवेदकों को संविलियन पात्रता न होने के कारण वर्तमान में विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।
९	श्री सुरेश शिवहरे सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गुहीसर भिण्ड	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	संबंधित रहायक अध्यापक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से तत्काल संलग्नीकरण समाप्त करें ।
१०	श्रीमती कचन तिवारी अध्यापक ग्राम नानाखेड़ी जिला रायसेन	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई हैं । अतएव संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है ।
११	श्रीमती सुनीता मालवीय वरिष्ठ अध्यापक (विकलांग) शा.उ.मा.वि. दीवडिया	जा.क्र. २८९५ दि. २३.०९.०९	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति, एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई हैं । अतएव संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है ।

5

12	श्रीमती संगुन याथम सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. चकचांद जिला श्योपुर	जा.क्र 2895 दि. 23.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग : नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतएव संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
13	श्रीमती उषा पाण्डेय सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.शा. गोहरगंज जिला रायसेन	जा.क्र. 2895 दि. 23.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र, दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अतएव संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।
14	श्री नवसिंह मण्डलोइ सहायक अध्यापक शा.मा.वि. सियाली जिला अलीराजपुर	जा.क्र. 2895 दि. 23.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 8.11. 05 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार पुरुष आवेदकों को संविलियन पात्रता न होने के कारण वर्तमान में विचार किया जाना संभव नहीं है।
15	श्री सुन्दरसिंह खरत सहायक अध्यापक शा.न.प्रा.वि. अम्बा जिला अलीराजपुर	जा.क्र. 2895 दि. 23.09.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 8.11. 05 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार पुरुष आवेदकों को संविलियन पात्रता न होने के कारण वर्तमान में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उक्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से संबंधितों को अवगत
करायें।

पृष्ठा/क्रमांक/शि.क./ए/47/09/196

प्रतिलिपि :-

- निज सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित
संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

३५/१०

उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक २०-४-१०

३६/१०

उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश